न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 263/2018/223 आरटीए

1. पतराम पुत्र धन्नराम जाति जाट निवासी 6 बीएचएम (जाखडावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. चन्दुराम पुत्र धन्नराम जाति जाट निवासी 6 बीएचएम (जाखडावाली) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं0 172/2017 अनवानी पतराम आदि बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्रसिंह संधू अधिवक्ता अपीलांटस
2. श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –30.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आरटीए पेश कर रास्ता भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया। चूंकि मौका 2–2 बिस्वा रास्ता चालू है परन्तु रिकार्ड मे 4–4 बिस्वा दर्ज है इसलिये 2–2 बिस्वा जो गैरमुमकिन रास्ता की मुमकिन भूमि दर्ज कर खातेदारी मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व बिना पत्रावली का अवलोकन किये पारित किया गया है। चक 6 बीएचएम के प. न. 105/380 मु.न. 42 कि.न. 21 ता 25, प.न. 106/380 मु.न. 43 कि.न. 21 ता 23 व वादी सं. 2 चन्दूराम के प.न. 106/380 मु.न. 43 कि.न. 24, 25 प.न. 107/380 मु.न. 44 कि.न. 21 ता 25 मे प्रत्येक बीघा मे 0.051 है0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो रास्ता का इन्द्राज वादीगण की जमाबंदियों मे ही बतौर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है जिससे रास्ते की आराजी वादीगण के खाता की आराजी है तथा वादीगण के आगे रास्ते अन्य किसी व्यक्ति को नही जाता है। वादीगण की रास्ते का उपयोग करते है, इन तथ्यों की पुष्टि होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर कोई ध्यान नही दिया गया। पटवारी की रिपोर्ट मे यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि वर्तमान मे मौका पर 0.025 है0 रास्ता चालू है तथा प.न. 107/380 मु.न. 44 कि.न. 25 तक ही रास्ता चालू है तथा इस रास्ते का उपयोग वादीगण ही करते है। यह रास्ता 0.025 है0 भूमि पर ही चल रहा है तथा चालू रास्ता एवं वादीगण के मध्य शेष 2–2 बिस्वा भूमि काबिज काश्त है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर वाद वादीगण डिक्री योग्य था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र

मे चाहे गये अनुतोष के संबंध मे किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐतराज नही किया गया तथा रेस्पो0 सं. 1 द्वारा भी अपने जवाब मे कोई एतराज नही किया गया। ऐतराज नही होने के कारण वाद वादीगण काबिले डिक्री था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर वादपत्र वादीगण डिक्री किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा चक 6 बीएचएम के प.न. 107/380 मु.न. 44 कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक किला मे 0.051 है0 दर्ज रास्ता के स्थान पर प्रत्येक किला मे 0.025 यथावत रखे जाने एवं 0.026 है0 प्रत्येक गैरमुमकिन के स्थान मुमकिन दर्ज करके खातेदारी मे दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रश्नगत रास्ता चन्दूराम अपीलांट सं. 2 की भूमि प.न. 107/380 मु.न. 44 के कि.न. 25 तक ही चालू है इस कि.न. 25 के आगे रास्ता नही है इस रास्ता का उपयोग अपीलांटस ही करते है तथा प्रश्नगत रास्ता 0.025 है0 भूमि पर ही चल रहा है शेष भूमि रास्ते हेतु उपयोग मे नही आ रही है। परन्तु पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, प्रकरण मे राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत ही अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 209 के तहत वाद प्रस्तुत रास्ता को निरस्त कर गैरमुमकिन से मुमकिन दर्ज कर रास्ते भूमि की घोषणा नही करवाई जा सकती। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।
6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 यथावत रखा जाता है। अपीलांटस चाहे तो राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत कार्यवाही कर सकते है जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official